

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 300/17

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

शा. प्र. गौड़

V/O

Name, parentage, caste and address of accused

① शिवचरण शिवराज सिंह राय 5044  
R/O गणपतिका RS गौड़

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 30-10-17 मुकाम  
गणपतिका गौड़ के पास पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में 24 लीटर/पाव/बोतल डेकरी शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

शिवराज

शिवराज



// निर्णय //

(आज दिनांक 14-11-17 को घोषित)

01 अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03 अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शर्तों में पॉन्च स्टे. 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 02 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04 जफाशुदा सम्पत्ति 25 लीटर/पाव/बोतल 2310 शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार

अपील की जायेगी। अपील के बाद से मान्य अपील न्यायालय के आदेश का

14/11/17